राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प–10/2018/810 दिनांक : 22/11/2018

1. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
2. प्रधानाचार्य, R.F.P.T.C. जयपुर, अजमेर/K.N.T.B.D.C अजमेर।
3. निदेशक(ESI), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय वर्ग, राजस्थान।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
9. समस्त नियंत्रण अधिकारी
   राजस्थान।

विषय : **दिनांक 31.03.2020 तक सेवानिवृत होने वाले चिकित्सकों की सूचना के संदर्भ में।**

---- : : ---- : : ----

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रशासनिक नियंत्रण **अधीन दिनांक 31.03.2020 तक सेवानिवृत होने वाले चिकित्सकों के प्रस्ताव** निदेशालय को निम्न प्रारूप में तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यहां उल्लेखनीय है कि चिकित्सक की जन्मतिथि के संदर्भ में यह प्रमाण पत्र भी देवें कि आपके द्वारा इनके सेवाभिलेख से जन्मतिथि का मिलान कर लिया गया है जो सही है।

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6

सेवानिवृति प्रस्ताव के साथ निम्न प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें:–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन कोई जांच विचाराधीन नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
   उक्त के विरूद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

उक्त समस्त सूचना दिनांक 30.11.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कर देवें। किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये संबंधित प्रशासनिक नियन्त्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगें, यह सुनिश्चित करें।

22.11.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2018/810 दिनांक : 22/11/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही समस्त संबंधित अधिकारियों की ई–मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

22.11.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।